

← FIRST CHAMBER OR LOWER HOUSE →

← HOUSE OF COMMONS →

विटीश संसद के प्रथम सदन को कामन्स सभा (House of Commons) भा निम्न सदन का नाम है। कामन्स सभा विटीश संसद का लोकप्रिय अंग है क्योंकि कहा जाता है कामन्स सभा विटीश संसद का लोकप्रिय अंग है क्योंकि इसका निर्विधन सीधे जनता द्वारा सकल व्यस्त मताधिकार (Universal adult franchise) के आधार पर होता है। प्राचीन काल में बाईस सभा ही महत्वपूर्णी और शावित्रात्मी भी। भीरे-2 कई कारणों से बाईस सभा की शाकिन्यों नया महत्व में कमी आई तथा कामन्स सभा की शाकिन्यों में भीरे-2 वृद्धि होती रही। 1911 तथा 1949 ईं के जनिनिधियों के पारित होने के बाद कामन्स सभा की स्थिति और शाकिन्यों में वृद्धि ईर्ष्या। इस संबंध में न्यूमैन के कहा है कि — “संसद की प्रभुता कामन्स सभा में निवास करती है।”

वर्तमान समय में कामन्स सभा के सदस्यों की संख्या 650 है। 1970 ईं के संशोधन के अनुसार 18 वर्ष की आयुवाला प्रत्येक स्त्री या चुरुष कामन्स सभा के लिये नियमन का अधिकारी है। योजनायों :- कामन्स सभा के सदस्य होने के लिये ब्रिटेन के संविधान के द्वारा निर्धारित नियम लिखित योजनायों आवश्यक है —

① वह जेट ब्रिटेन का नागरिक हो।

② उसकी उम्र 21 वर्ष की हो।

③ नियमनाओं की सूची में उसका नाम हो।

कार्यविधि :- कामन्स सभा की कार्यविधि 5 वर्ष की होती है। संकटकाल में इसकी कार्यविधि में वृद्धि की जा सकती है जैसा कि प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के समय वृद्धि की गई थी। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर समाट द्वारा कामन्स सभा को कार्यविधि की समाप्ति से पूर्व भी विघटित किया जा सकता है।

अधिवेशन :- कामन्स सभा का अधिवेशन वर्ष में कम से कम एक बार होना आवश्यक है। आवश्यकता पड़ने पर अधिक अधिवेशन बुलाये जा सकते हैं। अधिवेशन प्राथः अक्टूबर तथा नवंबर में प्रारंभ होता है। जन-प्रतिरूप (1950 ईं) के तिये 40 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है।

विशेषाधिकार :-

① सदस्यों को सदन में भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता है। सदन में दिये जाने भाषण के बिल्ले लिये किसी भी सदस्य के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती।

② सम्न के अधिवेशन की तिची से 40 दिन तक तथा 40 दिन बाद तक उन्हें किसी भी दिवानी मुकरमें के संबंध में जिरफतार नहीं किया जा सकता।

सदन की

(३) यदि सदन के सदस्य चाहे तो कार्यवाली जुझ रखी जा सकती है।

(५) सदन की अवभानना तथा सदन के सदस्यों के विदेशिकारों के उल्लंघन के लिए छंड की व्यवस्था है।

(६) कामन्स सभा के सदस्यों को अपने अध्यक्ष के भाष्यम से समार तक पहुँचने का अधिकार है।

कामन्स सभा के अधिकारियों में अध्यक्ष,

ज्ञाध्यक्ष, लिपिक तथा चैपलैन प्रमुख होते हैं। अध्यक्ष सदन की दबावी स्वता है। छोड़की की अध्यक्षता करता है। तथा सदन में अनुशासन एवं शान्ति व्यवस्था

← कामन्स सभा के कार्य एवं शक्तियों :-

कामन्स सभा के कार्य एवं शक्तियों को निम्नलिखित कार्यों में रखा जा सकता है —

(क) विष्याधिनी शक्तियाँ → विधि निर्माण के क्षेत्र में कामन्स सभा की विधि अवधिक सुदृढ़ है। ब्रिटिश संसद की संप्रभुता के सिद्धांत के अंतर्गत संसद को किसी भी विषय के संबंध में विधि-निर्माण का अधिकार प्राप्त है।

कामन्स सभा कम्युनिटी: संसद की शक्तियों का वास्तविक अधिकारी है।

१९११ ई तथा १९५७ ई के संसदीय अधिनियम पारित होने के बाद कामन्स सभा की उद्योग शक्तिशाली हो गई है। कामन्स सभा द्वारा पारित विधेयक को जब प्रार्डिस सभा अस्वीकृत बदल देती है तब कामन्स सभा उसे दुबरा पारित करती है। इसी बार पारित होने के बाद वह विधेयक न्यार्डिस सभा द्वारा पारित हुये बिना भी दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जायेगा यदि इस बीच एक वर्ष की अवधि बीत गई हो।

(ख) वित्तीय शक्तियाँ — मैटिसन ने कहा है — जिसके पास वित्तीय शक्ति होती है उसी के पास वास्तविक शक्ति होती है।" ब्रिटेन की वित्तीय विधि पर कामन्स सभा का वास्तविक अधिकार है। ब्रिटेन के संबंध में कहा जाता है "सम्राट धन की भोग करता है, कामन्स सभा उसकी स्वीकृति देती है तथा न्यार्डिस सभा उसका अनुमोदन करती है।" कामन्स सभा द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक को प्रार्डिस सभा में भेजा जाता है जहाँ न्यार्डिस सभा को एक महीने वाले अंतर्गत विचार करना होता है। एक महीने की अवधि की अमासि वाले बाद धन विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। इस प्रकार वित्त पर वास्तविक नियंत्रण कामन्स सभा का है।

(ग) कार्यपालिका पर नियंत्रण :— कार्यपालिका पर नियंत्रण स्वता कामन्स सभा का प्रमुख कार्य है। ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत कामन्स सभा को ऊपर कार्यपालिका के दोनिक नियंत्रण का कार्यित्व है। संसदीय

शासन शासनी होती के कारण नितीष मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से कामन्स सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आम तौर से कामन्स सभा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने के लिये प्रश्न पूछने, काम रौकी, एवं निकाल स्वताव पारित करने तथा सार्वजनिक नीति पर वाद-विवाद करने का माध्यम लगपड़ती है। इससे महत्वपूर्ण तथा सबसे गंभीर माध्यम है अधिकारियों का प्रस्ताव। कामन्स सभा मंत्रिपरिषद के विश्लेषण का प्रस्ताव पारित कर उसे अपकर्त्ता कर सकती है।

(v) जनता की शिकायतों की सुनवाई :- आमतौर से विधेयकों की, प्रस्तावों तथा सार्वजनिक नीतियों पर वाद विवाद के क्रम में जनहित संबोधी प्रश्न उठाये जाते हैं तथा जनता की भाँगी और शिकायतों पर चर्चा की जाती है। इसके अतिरिक्त विशेष रूप से जनता की शिकायतों को सुनने के लिये एक आवेदन समिति (Petition Committee) है जिसके सम्मुख कोई भी नागरिक लिखित रूप से शिकायत कर सकता है। उन शिकायतों पर सुनवाई होती है तथा उनकी जांच पट्टाल के वाद उनके निवारण के लिये सरकार की आवश्यक आदेश दिये जाते हैं।

वास्तविक स्थिति (Real Position) :-

सैलांतिक रूप से संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत के अंतर्गत कामन्स सभा के कार्य एवं व्यापक हैं। विधि निर्माण में कामन्स सभा की व्यापक शक्ति है। कार्यपालिका पर भी कामन्स सभा नियंत्रण रखती है। कामन्स सभा किसी भी मंत्रिमंडल के विश्लेषण का प्रस्ताव पारित कर उसे अपकर्त्ता करने के सकती है। कोई भी मंत्रिमंडल कामन्स सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है।

व्यवहार में स्थिति भिन्न है। बिटेन में मंत्रिमंडल इन शाकितशास्त्री एवं प्रभावशास्त्री हैं कि कई विवाद ने "मंत्रिमंडल के अधिनायक वाद शालक का प्रयोग किया है। मंत्रिमंडल का अधिनायक वाद हो था न हो, परंतु व्यवहार में शासन के हर दोनों में मंत्रिमंडल का प्रभुत्व एवं व्यापक प्रभाव है। न केवल प्रशासनिक दोनों में वरन् विधि निर्माण के दोनों में भी मंत्रिमंडल का प्रभुत्व है। बिटेन में मंत्रिमंडल जिस प्रकार का कानून पारित करवाना चाहता है उसी प्रकार का कानून पारित होता है। सैलांतिक हृषि से मंत्रिमंडल कामन्स सभा के प्रति उत्तरदायी है, परंतु कठोर इतीहासिक अनुशासन के कारण कामन्स सभा मंत्रिमंडल से द्वारा नियंत्रित होती है।

4.

मंत्रिमंडल के व्यापक प्रभाव के बाबजूद कामन्स समा का अपना महत्व है तथा अपना प्रभाव है। मंत्रिमंडल कामन्स समा की अवहेलना नहीं कर सकता है। आधुनिक दृग में जब क्रिटीश मंत्रिमंडल का प्रभाव व्यापक होता जा रहा है, कामन्स समा तीन महावृणि कार्यों का संपादन करती है —

- ① शासन पर अंकुर रखने का कार्य।
- ② जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करने का कार्य।
- ③ शुभल राजनीतिकों का चयन तथा उन्हें राजनीतिक क्षेत्र में योगदान देने के लिये अवसर प्रदान करने का कार्य।

चूमेन ने ठीक ही कहा है कि — “U.S.A. में राजनीतिक नेतृत्व प्राप्त करने के अनेक भार्ग हैं परंतु क्रिटीज में कामन्स समा ही एक भार्ग है।”

—X—